No. 11012/3/2008-PCR (Desk)
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment
***

NATIONAL AWARD FOR OUTSTANDING WORK IN PROTECTING MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AGAINST ATROCITIES AND ALL FORMS OF UNTOUCHABILITY FOR THE YEAR 2016

The National Award for outstanding work in protecting members of Scheduled Castes against atrocities and all forms of untouchability would be given to outstanding NGOs or individuals. Four awards would be given covering each region of the country namely North, South, East and West. A cash award of Rupees two lakhs for Individuals and Rupees five lakhs for Non-Governmental Organizations (NGOs) would be given.

2. Accordingly nominations for the award for the **year 2016**, as per the amended Code of Procedure, may be submitted by any of the following in the **prescribed** format:-

(i) Ministries of the Government of India. The proposal is required to be signed by an officer not below the level of Joint Secretary.

(ii) The State Governments/Union Territory Administrations with approval of the Principal Secretary/Secretary of the concerned Department or the District Magistrate of the concerned District.

(iii) Member of Parliament, Lok Sabha of the concerned constituency and Member of Parliament, Rajya Sabha of the concerned State.

(iv) Registered NGO working for development of the Scheduled Castes since last five years with clear credentials and not a Member of the Screening Committee or the Selection Committee.

3. The nominations for the award for **2016** received in this Ministry **up to 28th February, 2017** will be considered. Only achievements or contributions made within the past two years immediately preceding the nomination shall be considered for the Award and the award shall not be conferred in appreciation of the activity which is older than two years from the date of nomination for the award.

4. The nominations should be sent to **Shri K. M. Tembhurney, Assistant Director (PCR), PCR Desk, Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Room No. 721-A, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi, Phone Number: 011-23386981**. Any clarification in the matter may also be sought from the officer.

5. For further information and to download prescribed formats for nominations, please see the details in the advertisement uploaded on the website of the Ministry namely, **www.msje.nic.in.**

***

Annexure-I

FORMAT FOR NOMINATIONS FOR NON-GOVERNMENTAL ORGAANISATIONS FOR NATIONAL AWARD FOR OUTSTANDING FIELD WORK IN ERADICATING UNTOUCHABNILITY AND COMBATING OFFENCES OF ATROCITIES AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES.

***

1. Full Name, Designation and complete Address of the NGO:

2. Whether operating in own premises or in rented premises:

3. Other Communication devices:
   (i) Landline Phone no.
   (ii) Mobile No.
   (iii) Fax no.
   (iv) E-mail address:

4. Area of specialization:
   (Please attach Memorandum and Articles of Association containing objects and bye-laws)

5. Name of the parent Orgainsation/ Registered Body (attach certified copy of the certificate of registration):

6. The details of Managing Committee and qualification of their members:

7. Percentage of SC Members in the Managing Committee:

8. Total staff strength of the NGO:

9. Please attach copies of the Minutes of the Annual General Body meeting of last three years:

10. Please attach the annual reports

of the last three years:

11. Please attach copies of the audited Accounts of the last three years:

12. Please specify sources of funding:

13. Date on which the last Election of the Members of the Managing Committee was held:

14. Please specify details of notable work during the last two years in the field of eradicating untouchability and combating offences of atrocities against SCs (To be submitted along with supporting documents}:

15. Details of Awards/honours received, if any (attach citations):

16. Justification for the award:

***

<u>Annexure – II</u>

<u>FORMAT FOR NOMINATIONS OF HUMAN RIGHTS ACTIVISTS FOR NATIONAL AWARD FOR OUTSTANDING FIELD WORK IN ERADICATING UNTOUCHABILITY AND COMBATING OFFENCES OF ATROCITIES AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES</u>

***

1. Full name and complete address:

2. Other Communication devices:
   (i) Landline Phone no.:
   (ii) Mobile No.:
   (iii) Fax No.:
   (iv) E-mail address:

3. Academic Qualifications:

4. Subject of study/research:

5. Area of specialization:

6. Details of Professional experience (Area and number of years in chronological order):

7. Please specify details of notable work during the last two years in the field of eradicating untouchability and combating offences of atrocities against SCs (To be submitted along with supporting documents}:

8. Details of Awards/honours received, if any (attach citations):

9. Justification for the award:

***

संख्या 11012/3/2008- पीसीआर (डेस्क)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

***

वर्ष 2016 के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को अत्याचारों तथा अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार।

अनुसूचित जाति के सदस्यों को अत्याचारों तथा अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए देश के चार क्षेत्रों नामतः उत्तर ,दक्षिण ,पूर्व और पश्चिम में उत्कृष्ट गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों को उक्त क्षेत्रों में सराहनीय कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तियों को दो लाख रुपये की नगद राशि और गैर-सरकारी संगठनों) एनजीओ (को पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

.2 तदनुसार ,**वर्ष 2016** के पुरस्कार हेतु नामांकन, संशोधित प्रक्रिया संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से किसी से भी विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

i. भारत सरकार के मंत्रालय। प्रस्ताव पर कम-से-कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

ii. संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन सहित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

iii. संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद और संबंधित राज्य के राज्य सभा सांसद।

iv. पिछले पांच वर्षों से साफ-सुथरी छवि वाले, अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यरत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी या चयन समिति का सदस्य न हो।

.3 वर्ष **2016** के लिए पुरस्कार हेतु इस मंत्रालय में **28 फरवरी, 2017 तक** प्राप्त, नामांकनों पर विचार किया जाएगा या उपलब्धियों हेतु पुरस्कार नामांकन से तत्काल दो वर्ष पूर्व के भीतर किए गए योगदानों पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा और पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि से दो वर्ष से अधिक पुरानी गतिविधि के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

.4 नामांकन **श्री के.एम .टेंभुर्णे ,सहायक निदेशक) पीसीआर ,(पीसीआर डेस्क ,सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार ,कमरा सं721 -A ,ए विंग ,शास्त्री भवन ,नई दिल्ली ,दूरभाष सं 23386981-011** .को भेजे जाएं। इस मामले में यदि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह भी उक्त अधिकारी से प्राप्त करें।

5. अधिक जानकारी हेतु और नामांकन हेतु विहित प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए, कृपया इस मंत्रालय की बेवसाइट अर्थात www.socialjustice.nic.in पर अपलोड किये गए विज्ञापन में दिए गए ब्यौरे को देखें।

***

<u>**अनुबंध-I**</u>

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु गैर-सरकारी संगठनों की के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. गैर-सरकारी संगठन का पूरा नाम, पदनाम और पूरा पता

2. निजी अथवा किराये के परिसर में कार्य कर रहा है

3. संचार के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

4. विशेषज्ञता का क्षेत्र
   (कृपया उद्देश्यों और उप-विधियों सहित ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद संलग्न करें)

5. मूल संगठन/पंजीकृत निकाय का नाम (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. प्रबंधक समिति और इसके सदस्यों की योग्यता का ब्यौरा

7. प्रबंधक समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत

8. गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों की कुल संख्या

9. वार्षिक आम सभा की बैठक के पिछले तीन वर्षों के कार्यवृत्त की प्रतियां संलग्न करें ।

10. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें संलग्न करें

11. पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतियां संलग्न करें

12. वित्त पोषण के स्रोत का उल्लेख करें

13. वह तारीख जिस दिन प्रबंधक समिति के सदस्यों का अंतिम चुनाव किया गया

14. अस्पृश्यता को मिटाने और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों को रोकने के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें(समर्थन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए)

15. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा, यदि कोई हो (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

16. पुरस्कार का औचित्य

<u>अनुबंध-II</u>

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. पूरा नाम और पता

2. संपर्क के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

3. शैक्षिक योग्यता

4. अध्ययन/अनुसंधान का विषय

5. विशेषज्ञता का क्षेत्र

6. व्यावसायिक अनुभव का ब्यौरा (क्षेत्र और कालक्रमानुसार वर्षों की संख्या)

7. अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें(समर्थन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए)

8. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा यदि कोई हो, (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

9. पुरस्कार का औचित्य